

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 एवं 7 जा.दी.)

न्यायालय उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी:-शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.)

मा नम्बर:-265/2021

उनवान

सरदार सिंह वगै० बनाम प्रदीप कुमार वगै०

1 बाबत:- घोषणा व विभाजन

दिनांक:-08.04.2022

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह बुडानिया एवं प्रतिवादीगण की तरफ अधिवक्ता श्री अनिल चौधरी उपस्थित। इस वाद में आज दिनांक 08.04.2022 को श्री शैलेश खैरवा, उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वह मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फ़ैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08.04.2022 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा सहित जारी की गई।

(शैलेश खैरवा)

उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी (आर.एस.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	2	स्टाम्प वकालतनामा	21
स्टाम्प वकालतनामा	46	स्टाम्प अर्जी दावा	
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनतनामा वकील	
मेहनतनामा वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	500	फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुक्मनाम	
बाबत इजराय हुक्मनाम	548	मुतफरिफ	21
योग			

उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी (आर.एस.)

उपखण्ड अधिकारी (आर.एस.)